न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 04/2019

जीसीएमएस नम्बर :: 2019/00047

प्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. जानाराम पुत्र जीवाजी जाति घांची निवासी बांकली
2. चुन्नीलाल पुत्र भीकाजी जाति लोहार नि0 बांकली
3. छगनलाल पुत्र भीकाजी जाति लोहार नि0 बांकली
4. भवरलाल पुत्र भीकाजी जाति लोहार नि0 बांकली

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना उपस्थित
अधिवक्ता अप्रार्थी श्री लक्ष्मण के. चौधरी उपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांकः– 1-4-21

तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के खसरा नंबर 1071/1460 गत खसरा नंबर 647/2 किस्म गैर मुमकिन नाडा से बनना बताया है लेकिन उक्त खसरा नंबर पूर्व के 651 गैर मुमकिन नाडा से बना है जो धारा 16 में प्रतिबंधित श्रेणी की भूमी होने से पूनः गैर मुमकिन नाडा दर्ज कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रेषित कराने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि खसरा नंबर 1071 रकबा 0.37 हैक्टेयर व 1071/1460 रकबा 1.05 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम वर्तमान जमाबन्दी संवत 2075 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर की भूमी पूर्व में किस्म गैर मुमकिन नाडा दर्ज थी बन्दोबस्त पूर्व जमाबन्दी संवत 2026 से 2030 की प्रमाणित फोटो प्रति पत्रावली संलग्न है। जिसकी किस्म वक्त आवंटन के नामान्तरकरण के राजस्व रेकर्ड में बारानी सोयम दर्ज हुई। चूँकि आवंटन अधिकारी को किस्म परिवर्तन के अधिकार नहीं थे इसलिए जैर प्रार्थना पत्र भूमी को पूनः गैर मुमकिन नाडा दर्ज कराई जाने के आदेशार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स फरमाया जावे हाल खसरा नंबर 1071/1460 रकबा 1.09 हैक्टेयर गत खसरा नंबर 647/2 से बना है जबकि आवंटन आदेश, आवंटन के नामान्तरकरण तथा गत जमाबंदी वर्ष 2026 से 2030 से यह स्पष्ट है कि हाल खसरा नंबर 1071/1460 गत खसरा नंबर 651 किस्म गैर मुमकिन नाडा में बना है जो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमीयों की श्रेणी की भूमी है अतः उक्त नामान्तरकरण एवं समस्त पश्चातवृती नामान्तरकरण निरस्त फरमाकर भूमी की किस्म गैर मुमकिन नाडा दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स प्रेषित करावे। नए व पुराने नक्शों के ओवर लेपिंग नक्शे से भी यह स्पष्ट है कि खसरा नंबर 1071/1460 गत खसरा नंबर 651 गैर मुमकिन नाडा से बने है जिसे पुनः गैर मुमकिन नाडा दर्ज कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेन्स फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि पत्रावली संलग्न खसरा मिलान की प्रति के अनुसार खसरा नंबर 1071/1460 रकबा 1.09 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 1071 रकबा 0.37 हैक्टेयर दोनों ही पूर्व [illegible] 647/2 मीन एवं 647 मीन से बने है तथा जमाबंदी संवत 2026 से 20[illegible] अनुसार खसरा नंबर 647/2 की भूमी बारानी सोयम दर्ज [illegible] बारानी तृतीय जमाबन्दी सवंत 2023 से 2026 में दर्ज है इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमीयें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमी की श्रेणी [illegible] अर्थात गैर मुमकिन नाडा नहीं होने से इसका रेफरेन्स प्रार्थना पत्र जो तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसे निरस्त फरमावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा क्रयसुदा भूमी रेफरेन्स मुक्त फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:27:54 IST
Reason: SelfAttested

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश 2

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि खसरा नंबर 1071/1460 रकबा 1.09 हैक्टेयर के पूर्व खसरा नंबर 647/2 मीन की किस्म जमाबन्दी संवत 2026 से 2030 अनुसार बारानी सोयम दर्ज है तथा खसरा नंबर 1071 रकबा 0.37 हैक्टेयर पूर्व खसरा नंबर 647 मीन की भूमी जमाबन्दी संवत 2023 से 2026 में बारानी द्वितीय दर्ज है जो दोनों ही गैर मुमकिन नाडा होना स्पष्ट नहीं होने से इसका रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को गैर मुमकिन नाडा दर्ज कराने हेतु भिजवाना न्यायोचित नहीं है खसरा नंबर 651 रकबा 3 बीघा भूमी आवंटन हेतु मांग भीकाजी पुत्र लुम्बाजी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में की थी जो गैर मुमकिन नाडा दर्ज थी तथा आवंटन बाद बारानी प्रथम दर्ज की गई जो नामान्तरकरण संख्या 71 दिनांक 12.12.78 से स्पष्ट है उक्त आवंटन जो किया गया वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमी का किया गया है जिसका आवंटन नियम विरूद्ध होने से उसे निरस्त कराने हेतु तहसीलदार सुमेरपुर इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 14(4) के तहत अथवा रेफरेन्स हेतु प्रार्थना पत्र खसरा नंबर 651 से बने खसरा नंबर की स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत कर सकता है। परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन एवं बलहीन होने से निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 1-4-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Ansh
(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:27:54 IST
Reason: SelfAttested